संख्याः– 3168 / III(2) / 11–04(प्रा0आ0) / 2010

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 16 अगस्त, 2011

विषयः– **जनपद देहरादून के स्थित राजभवन परिसर देहरादून में श्रेणी–4 के चार आवासीय भवनों के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में राजभवन परिसर देहरादून में श्रेणी–4 के चार आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति शासनादेश सं0:– 6779 / III(2) / 10–04(प्रा0आ0) / 2010 दि0 15–12–2010 द्वारा प्रदान की गई है। उक्तानुसार प्रदत्त स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम चरण के कार्य पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा उक्त कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये लागत ₹ 90.19 लाख के विस्तृत आगणन पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 81.79 लाख (₹ इक्कासी लाख उन्यासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय हेतु ₹ 2.00 लाख (₹ दो लाख मात्र) की अनुमति प्रदान किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

(i) विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, विशेष रूप से बजट मैनुअल के प्रस्तर 211(डी) 4 व 5 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(x) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संः– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xi) व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31 मार्च, 2012 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

2– इस संबंध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22 –लेखाषीर्शक–4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80 सामान्य–800 अन्य भवन– 09 लोक निर्माण–नये कार्य–00–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 235/XXVII/(2)/2011 दिनांकः 11 अगस्त, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव।

संख्याः– 3168 /III(2)/11–04(प्रा0आ0)/2010 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी जनपद देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव।